

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया

पत्रांक

1266 / ग्रा0अ0वि0 / निविदा-11 / डा0रा0म0लो0 / 2016-17

दिनांक-02.12.2016

**प्रेस नोटिस
(निविदा सूचना)**

1. महामहिम राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 की ओर से अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया, उ0प्र0 ग्रा0अ0वि0 में (A.B.C.D.E.) श्रेणी के पंजीकृत एवं पात्र ठेकेदारों से कार्य की लागत के अनुसार होने पर प्रतिशत दरों में अधोलिखित कार्यो हेतु निविदाएं आमंत्रित करते है, निविदादाता (Bidder) किसी अथवा सभी कार्यो हेतु निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 2.

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लागत (लाख में)	धरोहर राशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मुल्य रू0 / स्टेशन री चार्ज / ट्रेड टैक्स	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाकाल सहित)	कार्यकारी अधिशासी अभियन्ता कार्यालय का पता	अधीक्षण अभियन्ता का पता	जिलाधिकारी कार्यालय का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
डा0 राम मनोहर लोहिया योजनान्तर्गत (अवशेष कार्य)								
1	विकास खण्ड-हनुमानगंज के अन्तर्गत डा0रा0म0लो0 वर्ष 2014-15 में ग्राम-बरवाँ में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन कार्य।	4.00	0.20	150+500+ T.T.	दो माह	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड- बलिया	अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पारिमण्डल- आजमगढ़।	जिलाधिकारी-बलिया
2	विकास खण्ड-पन्दह के अन्तर्गत डा0रा0म0लो0 वर्ष 2015-16 में ग्राम-चकबहाउद्दीन में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन कार्य।	4.00	0.20	150+500+ T.T.	दो माह			
3	विकास खण्ड-सीयर के अन्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में ग्राम-सोनाडिह में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन कार्य।	3.50	0.18	150+500+ T.T.	दो माह			
4	विकास खण्ड-दुबहड़ के अन्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में ग्राम-घघरौली के मजरा डुमरी के अन्तर्गत सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन कार्य।	4.00	0.20	150+500+ T.T.	दो माह			

5	विकास खण्ड-रेवती के अन्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में ग्राम-मुड़ाडीह में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन कार्य।	3.20	0.16	150+ 500+ T.T.	दो माह	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड- बलिया	अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पारिस्पडल- आजमगढ़।	जिलाधिकारी-बलिया
6	विकास खण्ड-नवानगर के अन्तर्गत डा0रा0म0लो0 वर्ष 2014-15 में ग्राम-खटंगीमठ राबीर में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन कार्य।	3.90	0.20	150+ 500+ T.T.	दो माह	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया	अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पारिस्पडल- आजमगढ़।	जिलाधिकारी-बलिया

- प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को शामिल करते हुए कालम नं-6 में वर्णित है।
- निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस होगी। एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा वापस नहीं ली जा सकती है।
- कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र (**Bidding Document**) सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, जिलाधिकारी कार्यालय से जैसा कि कालम 7,8,9 में अंकित है, से दिनांक **16.12.2016** से **17.12.2016** तक 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे के मध्य किसी भी कार्य दिवस में गैर वापसी शुल्क स्टेशनरी शुल्क एवं निविदा प्रपत्र शुल्क प्रति कार्य हेतु जैसा कि कालम सं0-5 में दर्शाया गया है, में नगद या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, ड्राफ्ट जो अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया के पक्ष में भुगतान हेतु देय होगा, खरीदा जा सकता है। टेकेदार जो अन्य जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, वह वहीं से प्राप्त कर सकते हैं, जहां से निविदा प्रपत्र खरीदे जायेंगे। डाक से निविदा मंगाने की अवस्था में डाक वितरण अथवा प्राप्ति में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर अधोहस्ताक्षरी जिम्मेदार नहीं होगा। निविदा प्रपत्र वेबसाइट-**www.ruralengineering.up.nic.in** से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिसके लिए स्टेशनरी शुल्क एवं निविदा प्रपत्र शुल्क प्रति कार्य हेतु जैसा कि कालम 5 में दर्शाया गया है। किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया के पक्ष में भुगतान हेतु देय होगा जो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जायेगी। निविदा प्रपत्र (**Bidding Document**) वेबसाइट से डाउनलोड की अवस्था में ड्राइंग सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता के कार्यालय जैसा कि कालम-7 में दर्शाया गया है, से सम्बन्धित कार्य हेतु प्राप्त की जा सकती है।
- वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र प्रमाणित मानी जाएगी।
- निविदाएं अधिशाली अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, जिलाधिकारी कार्यालय में जिनके पते पर क्रमशः 7,8,9 में अंकित है, को दिनांक **19.12.2016** (प्रातः 10 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक निविदा पेटिका में डाली जायेगी। जिनकी तकनीकी निविदायें उसी कार्य दिवस दिनांक-**19.12.2016** को दोपहर 02.00 बजे अधिशाली अभियन्ता के कार्यालय में जो कि कालम-7 में वर्णित है, में निविदादाताओं (जो उपस्थित होना चाहते हैं) के समक्ष खोली जायेगी, अथवा अवकाश होने के स्थिति में अगले कार्यालय दिवस में निर्धारित समय पर खोली जायेगी तथा निविदा की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी।
- प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर धनराशि जैसा कि कालम-4 में दर्शाया गया है, को संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया के पक्ष में बंधक होगी, जो कि निविदा की वैधता से 45 दिन अधिक की तिथि तक वैध होना अनिवार्य है। धरोहर धनराशि शिडयूल्ड कामसिंयल बैंक के फिक्स डिपॉजिट/राष्ट्रीय बचत पत्र/पोस्ट ऑफिस में बचत खाते में जमा राशि जो राशि के रूप में ही होगी, अन्यथा की स्थिति में निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
- ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा सम्बन्धी (**First Blood Relation & There Spouses**) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशाली अभियन्ता, के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदार का एफिडेविट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो कि खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा से दो साल सेवा निवृत्ति के पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति बिना नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार के अनुमति के कार्य करते हुए पाये जायेंगे तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- निविदा प्रपत्र तथा अन्य विवरण जैसा अर्हता, कार्य की विशिष्टियाँ, ड्राइंग विभिन्न कार्यों के शिडयूल ऑफ क्वान्टिटी जो कार्य किया जाना है, के सम्बन्ध में, अधिशाली अभियन्ता के कार्यालय में जैसा कि कालम-7 में दर्शाया गया है, को कार्य समय 11.00 बजे से 4.00 बजे तक दिनांक **16.12.2016** से **17.12.2016** तक देखी जा सकती है।
- अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार कौंसिल में पंजीकृत है। वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
- दस लाख के ऊपर के कार्यों के लिए प्रत्येक निविदादाता को प्रत्येक कार्य के लिए (संलग्न-1) के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा पर बिड कैपीसिटी के मूल्यांकन में आवश्यक सारी सूचनाएं रू0-100.00 के स्टाम्प पेपर एडिडेविट के रूप में देनी होगी। निविदादाता को बिड जमा करने से पूर्व बिड कैपीसिटी के लिए स्वयं को संतुष्ट करना होगा। बिड क्षमता सेक्शन 3 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप आंकलित की जायेगी, जो निविदादाता आवश्यक बिड कैपीसिटी को पूर्ण नहीं करते हैं उनकी वित्तीय निविदा किसी भी स्थिति में नहीं खोली जायेगी।
- निविदादाता को प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ सारी सूचनाएं निर्धारित प्रोफार्म (**T-4, T-5, T-6**) और रजिस्ट्रेशन की फोटो कापी के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

16. उ०प्र० प्रदेश शासन की अधिसूचना सं०-1411/36-2-2009-251(एव एम) 95 दिनांक 2011 सपठित शासन संख्या-392/36-2-2010/श्रम अनुभाग-2 दिनांक 26.02.2010 के अनुसार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की उपधारा-1 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना एस-61011/9/95-आर०डब्लू० दिनांक 12.10.1996 के आदेश के अनुपालन में प्राधिकृत निर्माण लागत का एक प्रतिशत की दर से श्रम उपकर की वसूली ठेकेदार के देय से की जायेगी।
17. दस लाख से अधिक की निविदा हेतु टेक्निकल बिड लिफाफा-ए एवं फाइनैशियल बिड लिफाफा-बी दोनों अलग-अलग लिफाफे में रखकर पुनः दोनों लिफाफे एक अन्य लिफाफा में रखकर प्रत्येक लिफाफा पर कार्य का नाम और ठेकेदार का नाम/फर्म का नाम लिखकर सही तरीके से सील करने के बाद ही निविदा बाक्स में डाली जायेगी। टेक्निकल बिड दिनांक 19.12.2016 को निर्धारित समय एवं स्थान पर खोली जायेगी जिसमें तकनीकी रूप से योग्य पाये जाने पर (Substantially Responsive) फाइनैशियल बिड खोले जाने की सूचना पात्र निविदादाताओं को बाद में दी जायेगी।
18. शासनादेश सं० 622/23-12-2012-2 आडिट/ 08 टी०सी०-2 लखनऊ दिनांक 08 जून 2012 के अनुसार 10 प्रतिशत बिलो तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर असंतुलित निविदा हेतु अतिरिक्त परफारमेन्स गारन्टी ली जायेगी।

अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-बलिया

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी बलिया।
2. पुलिस अधीक्षक, बलिया।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
4. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-आजमगढ़।
5. अधिशाली अभियन्ता, लो०नि०वि० प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड, बलिया।
6. समस्त सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया।
7. श्री हरीश चौधरी, वेब प्रभारी, (कार्यालय वित्त नियंत्रक) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ०प्र० लखनऊ को बिल आफ क्वान्टिटी की सी०डी० सहित इस अनुरोध के साथ की कृपया विभाग की वेबसाईट www.ruralengineering.up.nic.in में अपलोड करने का कष्ट करें।
8. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बलिया को बिल आफ क्वान्टिटी की सी०डी० सहित इस अनुरोध के साथ की कृपया अपने वेबसाईट www.ballia.nic.in में अपलोड करने का कष्ट करें।
10. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-बलिया